

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग एवं बिहार चिकित्सा शिक्षा सम्वर्ग के सेवारत, सेवा निवृत्त एवं मृत चिकित्सकों के लंबित ए0सी0पी0/डी0ए0सी0पी0 चिकित्सको के नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा संदर्भित वर्षों की चारित्री/विशेष चारित्री अनुपलब्ध रहने के कारण बाधित है । चारित्री एवं विशेष चारित्री के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या 1836/1-2-13 के अनुसार सभी नियंत्री पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि उनके नियंत्राधीन कार्यरत अथवा उनके अधीन अंतिम कार्यरत/सेवा-निवृत्त एवं मृत चिकित्सकों द्वारा स्वयं अथवा परिवार के सदस्य द्वारा चिकित्सकों के विशेष चारित्री का आग्रह करते हैं तो संबंधित चिकित्सकों का विशेष चारित्री (PAR) PERFORMANCE APPRAISAL REPORT सूचना प्रकाशन के दस दिनों के अन्दर अपर निदेशक-सह-संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जाय ।

ऐसा नहीं करने पर नियंत्री पदाधिकारियों को कार्य में लापरवाही मानते हुये अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है ।

विश्वासभाजन

(डा0 अजय कुमार)

अपर निदेशक-सह-संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 18/प्रौ.की.कां. - 01/2014-74/अ.नि. सह सं.स.की.कां. -

/स्वा0, पटना, दिनांक : 05/06/2015

प्रतिलिपि : महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को (सी0डी0 में) पाँच प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित करते हुये अनुरोध है कि बिहार में प्रकाशित होनेवाली सभी दैनिक समाचार पत्रों में लगातार दो दिनों तक प्रकाशित करने की कृपा की जाय ।

अपर निदेशक-सह-संयुक्त सचिव